भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4056
दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत नई जल संचयन परियोजना

4056. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पनधारा विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कोई नई जल संचयन परियोजना स्वीकृत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है,

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वर्षा आधारित सिंचाई क्षेत्रों में प्रत्येक खेत तक सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सलूम्बर जिलों के लिए कोई विशेष जल संचयन परियोजनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) तथा (ख) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), देश में वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं) के तहत, राजस्थान में सृजित/पुनरुद्धारित 1.52 लाख जल संचयन संरचनाओं सहित कुल 7.65 लाख जल संचयन संरचनाएं सृजित/पुनरुद्धारित की गईं (वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच)। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गई।

भारत सरकार ने, 49.5 लाख हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य और केंद्रीय हिस्से के रूप में, 8,134 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए इस कार्यक्रम को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने अब तक 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए 12303.33 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 8022.69 करोड़ रुपये) की कुल लागत पर 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1150 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इनमें, 7.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए राजस्थान के लिए स्वीकृत 149 परियोजनाएं शामिल हैं। योजना के आरंभ से, राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 4678.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (दिनांक 20.3.2025 तक)। डब्ल्यूडीसी 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से, राजस्थान में सृजित/पुनरुद्धारित 7086 जल संचयन संरचनाओं सहित कुल 1.22 लाख जल संचयन संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) का सृजन/पुनरुद्धार किया गया है (वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, तीसरी तिमाही तक)।

(ग) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वर्ष 2015-16 से देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना “प्रति बूंद अधिक फसल” “(Per Drop More Crop)” का कार्यान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी योजना का मुख्य उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसे माइक्रो सिंचाई प्रणाली के उपयोग के जरिए, खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना है। माइक्रो सिंचाई प्रणाली से जल की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन के जरिए उर्वरक का कम उपयोग, मजदूरी में बचत और अन्य इनपुट लागत में कमी आती है जिससे समग्र रूप से किसानों की आय में वृद्धि होती है। पीडीएमसी के तहत सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने के लिए सीमांत किसानों को 55% की दर से और अन्य किसानों को 45% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। माइक्रो सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए यह सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक, देश में माइक्रो सिंचाई के तहत 96.97 लाख हेक्टेयर को कवर किया गया है और 22854.07 करोड़ रूपए केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किए गए है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना और जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना (आरआरआर), अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का एक भाग है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत, राज्यों को एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर योजना के तहत सिंचाई क्षमता का सृजन और पुनर्स्थापन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। एसएमआई योजना, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल

प्रदेश, उत्तराखंड)/संघ राज्यों तथा अन्य राज्यों/संघ राज्यों [अर्थात अविभाजित ओडिशा के कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी जिले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, एलडब्ल्यूई प्रभावित इलाका, जनजातीय क्षेत्रों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) क्षेत्रों, मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्रों] को कवर करती है, जबकि जल निकायों की आरआरआर योजना, पूरे देश को कवर करती है। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक, राज्यों को 569.40 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है और वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई और आरआरआर घटकों के तहत क्रमशः 40870 हेक्टेयर और 12930 हेक्टेयर सिंचाई क्षमताओं का सृजन किया गया है।

(घ) तथा (ङ) उदयपुर (सलूम्बर ब्लॉक), डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, भूमि संसाधन विभाग ने 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 700 करोड़ रु. के कुल लागत पर 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वर्ष 2024-25 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत अतिरिक्त वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है, जिसमें राजस्थान को अस्थायी रूप से आवंटित 54305 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

*****

अनुबंध

दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 ***के तहत स्वीकृत परियोजनाएं***

राज्य	जिला	परियोजनाओं के नाम	ब्लॉक का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे.)
राजस्थान	डूंगरपुर	डूंगरपुर - डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	आसपुर	3999
		डूंगरपुर - डब्ल्यूडीसी - 2 /2021-22	सबला	4012
	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ -डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	अरमोड़	3446
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 2 /2021-22	छोटी सादड़ी	4372
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 3 /2021-22	छोटी सादड़ी	4982
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 4 /2021-22	दलोट	7452
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 5 /2021-22	धमोतर	5335
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 6 /2021-22	धरियावाड़	5331
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 7 /2021-22	पीपलखूंट	4348
		प्रतापगढ़-डब्ल्यूडीसी - 8 /2021-22	सुहागपुरा	3331
	उदयपुर	उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 1 /2021-22	भिंडर	7006
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 2 /2021-22	जयसमंद	4837
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 3 /2021-22	झल्लारा	6075
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 4 /2021-22	कोटरा	4320
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 5 /2021-22	कुटराबाद	3750
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 6 /2021-22	नयागांव	4782
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 7 /2021-22	ऋषभदेव	3407
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 8 /2021-22	सलूंबर	5211
		उदयपुर -डब्ल्यूडीसी - 9 /2021-22	वल्लभनगर	5222